अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

कृष्ण कुमार आदि बनाम धर्मपाल आदि

प्रकरण संख्या 182/2023

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
28.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–01 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 20/15 के कुल किता 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3010 हैक्टेयर व खाता संख्या 143/21 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3000 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थीगण के रिकॉर्ड में धारित रकबे में जबरिया प्रवेश न करें व सींव–डोल तोड़ने से निबेध रहे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 31/08/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
31/8/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश में ... पत्रावली दि० 13/9/23 को पेश हो।	
13/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण को आवाज [illegible] उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी व अदम पैरवी में हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:48:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner